समक्ष माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश केम्प, जबलपुर

रा.प्र.क्र. /सन् 2016

आवेदक — चमन सिंह गौड पिता श्री धनीराम गौड निवासी– ग्राम भौतिया पोस्ट धरमपुरा तहसील शहपुरा जिला जबलपुर

विरूद्ध

अनावेदकगण — 1– श्रीमति सियाबाई पति करण सिंह मेहरा निवासी– ग्राम सैमरा पोस्ट बरखेडा तहसील शहपुरा जिला जबलपुर

2– श्रीमान् अपर कलेक्टर जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय, जबलपुर

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

श्रीमान् अपर कलेक्टर जबलपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 169/अ–21 सन् 2012–13 में पारित आदेश दिंनाक 06.03.2013 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है।

आवेदक निम्नलिखित प्रार्थना करता है :

1– यह कि आवेदक द्वारा मौजा घुघरा, प.ह.न. 66, रा.नि.म. चरगवां, तहसील शहपुरा जिला जबलपुर स्थित खसरा नं. 55, 57 रकवा क्रमशः 0.067, 1.26 हे. कुल 1.93 हे. भूमि जो कि उसके भूमि स्वामी हक की भूमि है को विक्रय करने का अनुबंध अनावेदक श्रीमति शिया बाई पति श्री करण सिंह मेहरा से किया गया तथा बयाने में 1,80,000/– रूपये प्राप्त कर विक्रय अनुबंध का निष्पादन किया गया।

2– यह कि आवेदक गौड जाति का है जो आदिवासी वर्ग में आते हैं जिससे उन्हें अपनी भूमि गैर आदिवासी वर्ग को सदस्य को विक्रय करने हेतु माननीय जिलाध्यक्ष महोदय की अनुमति नियमानुसार आवश्यक है ।

3– यह कि आवेदक द्वारा अपने भूमि स्वामी हक की उपरोक्त भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति हेतु दिनांक 19.07.2010 को आवेदन

XXXIX(a)BR(H)-11

चमनसिंह विरूद्ध सियाबाई आदि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1029–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-4-16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 169/अ–21/14–15 में पारित आदेश दिनांक 6–3–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम घुघरा प.ह.नं. 66 रा.नि.मं. चरगवां तहसील शहपुरा जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 55 एवं 57 रकबा कमशः 0.067 एवं 1.26 हैक्टर कुल 1.93 हैक्टर को गैर आदिवासी व्यक्ति केता अनावेदक श्रीमती सियाबाई पति करण सिंह मेहरा निवासी ग्राम सैमरा पोस्ट बरखेड़ा तहसील शहपुरा जिला जबलपुर को विकय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन नायब तहसीलदार, चरगवां को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विकय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा इस आधार पर आवेदन निरस्त किया गया है कि भूमि विकय का कारण कर्ज चुकाया जाना प्रतिवेदित किया गया है किंतु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1029–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की आदेश पत्रिकाओं से होती है कि अपर आयुक्त पिछले काफी समय से अवकाश/प्रशिक्षण पर हैं जिस कारण प्रकरण का निराकरण नहीं हो पा रहा है और प्रकरण में निरंतर पेशियां दी जा रही हैं । ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा दिए गए कारणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 19-1-11 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकरण दर्ज कर इश्तहार का प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई एवं विक्रेता एवं क्रेता के कथन लिए जाने के उपरांत अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से जिलाध्यक्ष को पेश किया है । नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इश्तहार प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई किंतु इश्तहार पर कोई आक्षेप नहीं आया । प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, ग्राम में जनजाति के लोग हैं किंतु वे भूमि क्रय करना नहीं चाहते । भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । उक्त भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 5.01 हैक्टर भूमि शेष बचती है । आवेदक आवेदित भूमि को विक्रय कर कर्ज चुकाना चाहता है एवं अपने निवास भौतिया की जमीन में कृशि उपकरण खरीदकर लगाना चाहता है अपनी शेष बची भूमि को उन्नत बनाने एवं पारिवारिक उन्नति के लिएं जहां तक अनुविभागीय अधिकारी का प्रश्न है, उनके द्वारा नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमति होते हुए कार्यवाही कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया है । तहसीलदार एवं अनुविभागीय	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय में अपील पेश की गई जो अभी लंबित है ।

3/ आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि विद्वान अपर आयुक्त पिछले काफी समय से अवकाश/प्रशिक्षण पर हैं जिस कारण प्रकरण का निराकरण नहीं हो पा रहा है । प्रस्तावित क्रेता का कहना है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है और यदि उन्हें तत्काल अनुमति प्राप्त नहीं हुईतो वे भूमि क्रय नहीं कर पायेंगे । उनका यह भी कहना है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा अनुबंध के समय दी गई राशि की मांग की जा रही है जबकि उक्त राशि आवेदक द्वारा खर्च की जा चुकी है । उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रकरण का निराकरण करते हुए उन्हें अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है । उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में सम्पूर्ण स्थिति का उल्लेख करते हुए भूमि विक्रय की अनुशंसा की है तथा यह स्पष्ट किया है कि अंतरण से आवेदक के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा जिलाध्यक्ष ने जो आधार आवेदन निरस्त करने का दिया है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है । आवेदक के उक्त तर्क की पुष्टि उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत आवेदन से होती है और उनके द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार योग्य हैं ।

4/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रस्तुत की गई अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय हेतु जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 19-7-10 से प्रारंभ हुआ है । जिलाध्यक्ष द्वारा 6-3-13 को उक्त आवेदन निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील अभी अपर आयुक्त के समक्ष लंबित है । आवेदक द्वारा दिए गए इस तर्क कि पुष्टि अपर आयुक्त के न्यायालय

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	अधिकारी के प्रतिवेदनों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-3-13 निरस्त किया जाता है साथ ही अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम घुघरा प.ह.नं. 66 रा.नि.मं. चरगवां तहसील शहपुरा जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 55 एवं 57 रकबा क्रमशः 0.067 एवं 1.26 हैक्टर कुल 1.93 हैक्टर को गैर आदिवासी व्यक्ति क्रेता अनावेदक श्रीमती सियाबाई पति करण सिंह मेहरा निवासी ग्राम सैमरा पोस्ट बरखेड़ा तहसील शहपुरा जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	